RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 09 / 2025 GCMS NO 2025/63

प्रार्थी–

1. श्री मांगीलाल पुत्र मानाराम
2. श्रीमती उकीदेवी, पत्नी जोगाराम
3. श्री अशोक कुमार पुत्र जोगाराम
4. श्री लक्ष्मण पुत्र जोगाराम जातियान कलबी, निवासीयान बागलोप, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी पंचायत समिति सिवाना।
2. श्री रणछोड़राम पुत्र वागाराम
3. श्री वेनाराम पुत्र वागाराम
4. श्री कानाराम पुत्र वागाराम जातियान चौधरी, निवासीयान चौधरियों का न्याती भवन के सामने स्टेशन रोड़ समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 जो अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री झुंझाराम पटेल, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.11.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 के विरूद्ध दिनांक 07.04.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 रणछोडराम, अप्रार्थी संख्या 3 वेनाराम, अप्रार्थी संख्या 4 कानाराम के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1994 के नियम 167(1) के तहत ग्राम समदड़ी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 353.3 वर्गगज दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उतर में जैन का प्लॉट व 60 फीट, दक्षिण में पांचाराम घांची व 60 फीट, पूर्व में रास्ता व 53.6 फीट, पश्चिम में मैन रोड़ स्टेशन व 53.6 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान

जिला कलक्टर
बालोतरा

पंचायतीराज नियम 1994 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थीगण की यह निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत समदड़ी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह कथन किया कि ग्राम पंचायत समदडी ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के तहत मिसल संख्या 102/06.08.2001 मे पटटा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को पूर्णतया विधिवत् व विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत की आबादी भुमि में जारी किया गया है। प्रार्थीगण ग्राम बागलोप तहसील कल्याणपुर के स्थायी निवासी है, ग्राम पंचायत समदड़ी मे उनकी कोई कृषि भूमि वगैरा आई हुई नहीं थी, जिस कारण उन्होने ग्राम पंचायत समदडी से आबादी भूमि का फायदा प्राप्त करने हेतु रियायती दरो पर भूमि का बेचान अपने पक्ष में करवाया तथा बाद में अप्रार्थीगण से भूमि का प्रतिफल खरीद से ज्यादा मुनाफा लेकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। उक्त संपति अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण संख्या 1 मांगीलाल तथा 2 ता 4 के पूर्वज जोगाराम से जरिये लिखत खरीद किया था, जिसका पटटा पूर्व मे प्रार्थीगण संख्या 1 मांगीलाल के नाम पट्टा संख्या 38 व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पूर्वज जोगाराम के नाम से पटटा संख्या 5 नगरपालिका द्वारा जारी किया गया था। उक्त पट्टे इस शर्त के आधार पर पटटा जारी किया गया था कि रियायती दर या निःशुल्क आवंटन की स्थिति मे केता द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को यह भूखण्ड पुनः विक्रय नहीं किया जा सकेगा, लेकिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टरी बैचान किया गया। शर्त के विखण्डन के साथ ही दोनो पटटो का कानूनन रुप से कोई प्रभाव नहीं रह गया था। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का भौतिक कब्जा होने से पटटा संख्या 15 दिनांक 08.01.1997 को डी एल सी दर रुपये 15,180/– रसीद संख्या 1771 के जरिये प्राप्त कर जारी किया गया। दिनांक 08.01.1997 को जारी पट्टा संख्या 15 पर ग्रामसेवक व विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से पटटे मे कमी रहने से अप्रार्थीगण 2 ता 4 के द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय बाडमेर के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर जिलाधीश महोदय बाडमेर ने जांच कर अप्रार्थी संख्या 1 को पुनः पटटा जारी करने का आदेश के साथ रिमाण्ड किया। इसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत ने श्रीमान जिलाधीश बाडमेर के आदेश की पालना मे दिनांक 06.08.2001 को पत्रावली कायम की जाकर नियमानुसार शुल्क के रुप में 250/–रुपये व रसीद संख्या 3049/07.02.2002 अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में पटटा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को विधिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया। ग्राम पंचायत समदडी ने जिलाधीश महोदय बाडमेर के आदेश से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत अनिगराकार के पक्ष में पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तथा धारा 157 (2) के तहत पुराने गृहो का वियमितिकरण या पुराने कब्जे के आधार पर जारी किया किया गया है। श्रीमान जिला न्यायालय बालोतरा मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सीपीसी प्रकरण संख्या 36/2023 अनवान रणछोडराम बनाम मांगीलाल के अंतर्गत खारिज किया है, लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ माननीय राज. उच्च न्यायालय मे

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपील पेश की तथा जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए आदेशित किया कि वाद पत्र में वर्णित संपति का रेकर्ड व मौके के अनुसार वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी पटटा सं. 48 दिनांक 05.03. 2002 जारी किया गया, उस समय ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति पेश नहीं की तथा पटटे की जानकारी शुरू से ही प्रार्थीगण को थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पटटा जारी करने में पंचायीतराज अधिनियम 1994 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पटटा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का पटटा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

5. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड सम्पति गांव की आबादी भूमि का भाग नहीं होकर पट्टासुदा व पंजीकृत दस्तावेज के जरिये खरीदसुदा सम्पति प्रार्थीगण की पैतृक कब्जा स्वामित्व मालिकाना की सहसंयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति है। जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार अधिनस्थ अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं था। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 द्वारा अधिनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष आलोच्य पट्टा मिसल के संबंध में वास्तविक तथ्य छिपाकर प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व हित के तथ्यों को छिपाकर गलत तौर से स्वयं का पुराना कब्जा न होने के उपरांत भी पुराना कब्जा बताकर आलोच्य पट्टा जारी करवाया जाकर नियमन करवाया है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 157(2) के तहत पुराना गृहों का नियमीतिकरण किया जाता है, जिसमें आवेदक का पट्टा स्थल की भूमि पर 50 वर्षो से अधिक पुराना कब्जा अथवा 50 वर्षो की अवधि के भीतर कब्जा कायम करना चाहिये, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त स्थल पर आवेदक अप्रार्थीगण रणछोड़राम, वेनाराम का 50 वर्षो से अधिक पुराना कब्जा नहीं था, क्योंकि पट्टा स्थल की भूमि प्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल स्वयं का तथा प्रार्थी संख्या 2 के पति, प्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता जोगाराम का पटटासुदा रही है। आलोच्य भूखण्ड का पटटा संख्या 05 दिनांक 25.01.1986 को प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के हकपूर्वाधिकारी जोगाराम के नाम तथा पटटा संख्या 38 दिनांक 28.02.1987 को प्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के नाम तत्कालीन नगरपालिका समदड़ी द्वारा जारी किया गया था। जिसका पंजीकरण उप पंजीयक सिवाना में हो चुका था। पंजीकृत दस्तावजे को सक्षम सिविल कोर्ट ही निरस्त कर सकती है। प्रार्थीगण ने बाद पटटा प्राप्ती चारदिवारी निर्मित करवायी तथा रहवास हेतु पक्का मकान बनाया एवं आवश्यक सुविधा हेतु शौचालय, रसोईघर इत्यादी बनाये। अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को उक्त तथ्य की पूर्ण जानकारी थी कि उक्त सम्पति प्रार्थीगण संख्या 1 मांगीलाल व प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के हकपूर्वाधिकारी के पटटासुदा, मालिकाना की है, फिर भी प्रार्थीगण को पटटे के संबंध में जानकारी दिये बिना ही एकपक्षीय रूप से आलोच्य पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को जारी किया है। उक्त आलोच्य भूखण्ड से संबंधित सम्पति कभी भी ग्राम पंचायत समदड़ी के मालिकाना की नहीं रही, बल्कि प्रार्थी की निजी पटटा, कब्जासुदा सम्पति थी। वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण के भूखण्ड को हड़प करने के संबंध में आधारहीन तथ्यों का एक वादपत्र श्री जिला न्यायाधीश बालोतरा में वर्तमान प्रकरण के अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया और गलत एवं मिथ्या, झूठा कथन किया कि उक्त सम्पति उन्हें जरिये इकरारनामा दिनांक 28.11.95 को खरीद कर ली, जिससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पति दिनांक 05.03.2002 को ग्राम पंचायत की

जिला कलक्टर

सम्पति नहीं थी। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का भूखण्ड खरीद कर बताकर आलोच्य भूखण्ड पर पट्टा संख्या 48 ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया। यह उचित है कि अपंजीकृत, अमुद्रांकित तथाकथित फर्जी इकरारनामा से कोई हक, अधिकार किसी भी पक्ष को उत्पन्न नहीं होते है। अतिरिक्त इसके प्रार्थीगण के नाम जारी पटटों को किसी सक्षम स्तर पर न्याय निर्णित कर अवैध या मन्सुख दिनांक 05.03.2002 तक नहीं किया गया था। इसलिए उक्त पटटे प्रभावी थे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रभावी पट्टे पर उक्त आलोच्य नया पट्टे अप्रार्थीगण संख्या संख्या 2, 3, 4 के नाम जारी किया गया है। पटटों के प्रभावी रहते पट्टे पर पट्टा जारी करना लोकनीति के विपरित है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने उक्त तथ्यों को छिपाकर उक्त सम्पति जो प्रार्थीगण के मालिकाना, स्वामित्व की पटटासुदा थी, को ग्राम पंचायत की होना बताकर पटटा प्राप्ती की कार्यवाही की है, जो किसी भी रूप से उचित या वैध कार्यवाही नहीं है। प्रार्थीगण संख्या 03 व 04 व्यापारी पेशा व्यक्ति है जो अपने व्यापारिक सिलसिले हेतु राजस्थान राज्य से बाहर व्यापार करते है एवं प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 वृद्ध ग्रामीण तबके के कास्तकार व्यक्ति है, जिन्हें उक्त पटटों की कोई जानकारी नहीं दी। अप्रार्थी संख्या संख्या 2, 3 ने प्रार्थी संख्या 1 के साथ साठ–गाठ कर गलत रूप से प्रार्थीगण की बिना जानकारी में लाये आलोच्य पट्टा 48 दिनांक 05.03.2002 को जारी करवाया, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं थी। उक्त पटटे के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध वर्तमान प्रकरण के अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने आधारहीन गलत तथ्यों का वाद श्री जिला न्यायालय बालोतरा में पेश किया तथा वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सीपीसी प्रकरण संख्या 36/2023 बअनवान रणछोड़राम बनाम मांगीलाल वगैरा भी दायर किया जो दिनांक 17.11.2023 को जिला न्यायाधीश बालोतरा द्वारा खारिज किया गया। तावाद प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को उनके नाम जारी आलोच्य पटटा संख्या 48 सहमती से निरस्त करवाने हेतु समझाईश की, तब पहले तो अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 ने अपनी गलती स्वीकार किया और पटटा सहमति से निरस्त करवाने हेतु तैयार हुए, किन्तु बाद में दूषित सलाह एवं लालच में आकर अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने टालमटोली का जबाव दिया। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को जारी किया, उसे जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियमों की अनदेखी करते हुए प्रार्थीगण को बिना सुने ही पैतृक सम्पति का पट्टा अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा मात्र अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 को निजी लाभ पहुंचाने के आशय से गलत तौर से जारी किया गया है, जो खारीज योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

6. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन किया कि ग्राम पंचायत समदडी ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के तहत मिसल संख्या 102/06.08.2001 मे पटटा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को पूर्णतया विधिवत् व विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत की आबादी भुमि में जारी किया गया है। प्रार्थीगण ने निगरानी मे वर्णित संपति को पैतृक संपति होना बताया है, जबकि प्रार्थीगण मौजा समदड़ी के निवासी नहीं होकर ग्राम बागलोप तहसील कल्याणपुर के स्थायी निवासी है। ग्राम पंचायत समदडी मे प्रार्थीगण की कोई कृषि भूमि वगैरा आई हुई नहीं थी, जिस कारण प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत समदडी से आबादी भूमि का फायदा प्राप्त करने हेतु रियायती दरो पर भूमि का बेचान अपने पक्ष में करवाया तथा

जिला कलक्टर
बालोतरा

बाद में अप्रार्थीगण से भूमि का प्रतिफल खरीद से ज्यादा मुनाफा लेकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। इस निगरानी के ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं किया जा सकता कि निगरानी मे वर्णित पटटासुद भूमि उनकी पैतृक संपति थी, जिसमे उनका एक हिस्सा निहित था तथा उसे आगे बेचान करने का अधिकार था या नही। ग्राम पंचायत को स्पष्ट बताया कि निगरानी मे पटटासुद भूमि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के कब्जे व खरीद की है। उक्त संपति अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण संख्या 1 गांगीलाल तथा 2 ता 4 के पूर्वज जोगाराम से जरिये लिखत खरीद किया था, जिसका पटटा पूर्व मे प्रार्थीगण संख्या 1 गांगीलाल के नाम पट्टा संख्या 38 व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पूर्वज जोगाराम के नाम से पटटा संख्या 5 जारी नगरपालिका द्वारा जारी किया गया था। प्रार्थीगण के के पक्ष में पट्टा संख्या 5 व 38 इस शर्त के आधार पर जारी किया था कि रियायती दर या निःशुल्क आवंटन की स्थिति मे केता द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को यह भूखण्ड पुनः विक्रय नहीं किया जा सकेगा। अगर ऐसा किया गया तो केता द्वारा किया गया विक्रय अमान्य होगा और ऐसा भूखण्ड नगर पालिका समदडी द्वारा पुनः अवाप्त कर लिये जायेंगे एवं केता को उसमे किसी प्रकार का उजर मान्य नहीं होगा। उपरोक्त शर्त के बावजुद प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से 4 के पूर्वज जोगाराम के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में लिखत कर बेचान करने से प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से 4 के पूर्वज जोगाराम का पटटा संख्या 38 व 5 स्वतः ही प्रभाव शुन्य हो गये। शर्त के विखण्डन के साथ ही दोनो पटटो का कानूनन रुप से कोई प्रभाव नहीं रह गया था। उस रोज प्रार्थीगण के पटटे रजिस्टर्ड नहीं थे , क्योंकि असल पटटे अप्रार्थीगण के पास थे तो प्रार्थीगण ने पटटे रजिस्टर्ड कैसे करवाये गये जो एक जांच का विषय है। उनके द्वारा बेचान किये भूखण्डो के असल पटटो के अभाव मे ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड किस आधार पर करवाया गया। प्रार्थीगण के द्वारा रियायती दर पर खरीद किये गये भूखण्डो को आगे बेचान अप्रार्थीगण 2 ता 4 के पक्ष में करने के बाद ग्राम पंचायत ने पटटासुद संपति को अवाप्त करने की जटिल प्रक्रिया से गुजरने की बजाय सुविधा की दृष्टि को देखते हुए अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का भौतिक कब्जा होने से पटटा संख्या 15 दिनांक 08.01.1997 को डी एल सी दर रुपये 15180/– रसीद संख्या 1771 के जरिये प्राप्त कर जारी किया गया, लेकिन दिनांक 08.01.1997 को जारी पट्टा संख्या 15 पर ग्रामसेवक व विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से पटटे मे कमी रहने से अप्रार्थीगण 2 ता 4 के द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय बाडमेर के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर जिलाधीश महोदय बाडमेर ने जांच कर अप्रार्थी संख्या 1 को पुनः पटटा जारी करने का आदेश के साथ रिमाण्ड किया। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत ने श्रीमान जिलाधीश बाडमेर के आदेश की पालना मे दिनांक 06.08.2001 को पत्रावली कायम की जाकर नियमानुसार शुल्क के रुप में 250/–रुपये व रसीद संख्या 3049/07.02.2002 अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में पटटा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को विधिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया। इस प्रकार जिलाधीश के आदेश की पालना मे पटटा संख्या 48 जारी किया गया, को अपास्त किये जाने का प्रार्थीगण को आपत्ति या उजर उठाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत समदड़ी ने जिलाधीश महोदय बाडमेर के आदेश से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थीगण के पक्ष में पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तथा धारा 157 (2) के तहत पुराने गृहो का वियमितिकरण या पुराने कब्जे के आधार पर जारी किया किया गया है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की पटटासुद संपति पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा व निर्माण नहीं है। प्रार्थीगण का यह तथ्य कि

इकरारनामा के जरिये बेचान हुआ है, उक्त इकरारनामा लिखत अपंजिकृत, अमुद्रांकित व फर्जी है, ऐसे दस्तावेज का परीक्षण निरीक्षण साक्ष्य के बाद आदेशित करने का अधिकार एकमात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है और न ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा साक्ष्य पेश किया कि उक्त इकरारनामा फर्जी हो। इसके अलावा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच श्रीमान जिला न्यायालय मे सिविल वाद विचाराधीन है, जिसमे दोनो पक्षकारो के पटटो व उनके विधिक हको का बाद साक्ष्य तय किया जाना है तथा वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर को मात्र सरसरी प्रक्रिया के तहत पटटो के विधिक प्रकिया को तय करना है। श्रीमान जिला न्यायालय बालोतरा मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सीपीसी प्रकरण संख्या 36/2023 बअनवान रणछोडराम बनाम मांगीलाल के अंतर्गत खारिज किया है, लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ माननीय राज. उच्च न्यायालय मे अपील पेश की तथा जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए आदेशित किया कि वाद पत्र में वर्णित संपति का रेकर्ड व मौके के अनुसार वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी पटटा सं. 48 दिनांक 05.03.2002 जारी किया गया, उस समय ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति पेश नहीं की तथा पटटे की जानकारी शुरू से ही प्रार्थीगण को थी। अप्रार्थीगण का पटटा उक्त निगरानी के जरिये निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कानूनी जटिलताओ मे फसा दिया जायेगा, जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पटटा जारी करने में पंचायीतराज अधिनियम 1994 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पटटा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का पटटा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

7. हमने पत्रावली में प्रार्थीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा मिसल संख्या 102/06.08.2001 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 05.03.2002 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 48 दिनांक 05.03.2002 को अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी की मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम 157 की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 48 जारी किया गया है तथा आलोच्य भूखण्ड का पटटा संख्या 05 दिनांक 25.01.1986 को प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के हकपूर्वाधिकारी जोगाराम के नाम तथा पटटा संख्या 38 दिनांक 28.02.1987 को प्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के नाम तत्कालीन नगरपालिका समदड़ी द्वारा जारी किया गया था। इसके प्रत्युतर में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने प्रार्थीगण से जरीये बैचान इकरारनामा से खरीदा था। नगर पालिका द्वारा जारी पट्टा पर अंकित शर्त का उल्लघंन करने पर प्रार्थी के नाम जारी पट्टा प्रभावी नहीं रहने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम पटटा संख्या 15 दिनांक 08.01.1997 को डी एल सी दर 15180/–रुपये के हिसाब से पंचायतीराज नियम 167 के तहत जारी किया गया था, लेकिन पट्टा संख्या 15 में कमी रहने से जिलाधीश, बाड़मेर में निगरानी पेश की तथा निगरानी स्वीकार करते हुए रिमाण्ड किया गया। जिलाधीश बाड़मेर के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज के नियमों की पालना करते हुए आलोच्य पट्टा संख्या

48 दिनांक 05.03.2002 को अप्रार्थीगण के नाम जारी किया गया है। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें पटटा संख्या 05 दिनांक 25.01.1986 को प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के हकपूर्वाधिकारी जोगाराम के नाम तथा पटटा संख्या 38 दिनांक 28.02.1987 को प्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के नाम तत्कालीन नगरपालिका समदड़ी द्वारा जारी होना बताया गया। प्रार्थीगण द्वारा सन 1995 में अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में जरिये इकरारनामा बैचान किया गया, होना पाया गया। उक्त आलोच्य भूखण्ड खरीद होने पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में पट्टा संख्या 15 दिनांक 08.01.1997 को डी एल सी दर 15,180/– रू राशि जमा कर पंचायतीराज नियम 266 के तहत जारी किया गया, होना पाया गया। इसके अलावा अधीनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से तलब किया गया मूल अभिलेख को अवलोकन किया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम पूर्व में पट्टा बना हुआ था परन्तु जिलाधीश महोदय बाड़मेर द्वारा जांच करने पर पट्टे में रही कमी के कारण पुनः रिमाण्ड करने पर दिनांक 06.08.2001 को आदेशिका में दर्ज किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाकर आलौच्य पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.03.2002 को यथावत बहाल रखा जाता हैं तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा